

फर्द अहकाम

सरकार बनाम अनोच देवी

293/2016

प्रा. पत्र 177 RTA

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29/5/23	<p>पत्रावली आज वकील वादी के प्रा. पत्र पर तय्यब की गई। वकील वादी उप. वकील वादी ने प्रा. पत्र के साथ वादग्रस्त भूमि के चक्करन ले सम्बन्धित दस्तावेज पेश किए, जो संलग्न हैं। वदत दावा वादी वकील की सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 5/6/23 को पेश हो</p>	
5/6/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. वदत वकील वादी पर गैर क्रियाय पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया तो तदनुसार पत्रावली के द्वारा दिनांक 7/11/16 को अज्ञात के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि ग्राम आशिकपुरा उर्फ चौरया के अ.न. 918 रकबा. 3.79 हे. का बिना संपरिक्लित कराए अहमि उपयोग में लेने के बाबत पेश किया गया जिल कदम अज्ञात द्वारा पृथक्-पृथक् चार चालानों के द्वारा दिनांक 31/4/23 एवं 19/4/23 को 35 हजार की भीटर भूमि का कृषि ले अहमि में कवर्ड औद्योगिक हेतु आवादी हेतु कवर्ड करा लेने से जिलके दस्तावेज पत्रावली में संलग्न हैं। इस प्रकार अज्ञात अहमि में अ.न. 918 रकबा. 3.79 हे. वाले ग्राम आशिकपुरा उर्फ चौरया का कवर्ड करा लेने के कारण अज्ञात पत्रावली में कवर्ड कार्यवाही किया जाना बाध नहीं है। प्रा. पत्र के विरुद्ध की गई कार्यवाही 177 के तहत न्यायिक की जाती है। पत्रावली वाद तुरीय तामिल पत्रावली है।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)